प्रेस विज्ञप्ति
06.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईआईपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26.86 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, आवासीय मकान और खुले भूखंड शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफबी, बैंगलोर द्वारा आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आंध्र बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) को धोखा देने और बैंक को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है।

ईडी की जांच में पता चला कि एसआईआईपीएल ने इस्पात निर्माण इकाई की स्थापना और विस्तार के लिए तत्कालीन आंध्र बैंक से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी की सुविधा ली थी। हालांकि, आरोपियों ने फर्जी स्टॉक विवरण, बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए वित्तीय आंकड़े, जाली दस्तावेज और झूठे प्रमाण पत्र जमा करके धोखाधड़ी से अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं। आगे की जांच में पता चला कि ऋण राशि को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। धन को संबंधित संस्थाओं और फर्जी लेनदेन प्रदाताओं के माध्यम से भेजा गया, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए काल्पनिक कारोबार और चक्रीय लेनदेन किए गए।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपियों ने फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए स्टॉक विवरण प्रस्तुत किए, प्राप्तियों में हेरफेर किया और बैंक से कृत्रिम रूप से आहरण क्षमता बनाए रखने और उच्च ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए फर्जी लेनदेन किए। इन कपटपूर्ण तरीकों को अपनाकर, आरोपियों ने बेईमानी से बैंक ऋण प्राप्त किए और उनका दुरुपयोग किया, जिससे बैंक को अनुचित नुकसान हुआ और 46.52 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित हुई। बैंक ने बाद में 15.52 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं और वसूली के लिए शेष 31 करोड़ रुपये की अपराध की आय में से, पीएमएलए जांच के दौरान 26.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की पहचान की गई और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें जब्त कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।